अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–12) विभाग

क्रमांकः– प.7(98)गृह–12/कारा/2015पार्ट-I जयपुर, दिनांक 26.4.2016

परामर्शदात्री

राज्य में जेलों मे निरुद्ध बंदियो द्वारा समय–समय पर नियमित पैरोल एवं स्थायी पैरोल हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाते है। राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रुल्स 1958 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय पैरोल परामर्शदात्री समिति ऐसे नियमित पैरोल प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेती है। स्थायी पैरोल हेतु आवेदन पर उक्त नियमों के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय पैरोल परामर्शदात्री समिति अपनी अभिशंषा राज्य सरकार को करती है। जिसके आधार पर राज्य सरकार अंतिम निर्णय लेती है।

पैरोल आवेदन पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर परिपत्र/परामर्शदात्री जारी की गई है। इसी क्रम में पैरोल प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में जिला स्तरीय पैरोल परामर्श दात्री समिति/राज्य स्तरीय पैरोल परामर्शदात्री समिति को पैरोल प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखे जाने हेतु परामर्श प्रदान किया जाता हैः–

1. यह कि बंदी को नियमित पैरोल/स्थायी पैरोल प्रदान किये जाने की दशा में सम्बन्धित समिति/प्राधिकारी द्वारा निर्धारित जमानत एवं बंध पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् रिहा किये जाने का प्रावधान है। कतिपय प्रकरणों में यह ध्यान में आया है कि इस हेतु निर्धारित जमानत व बंध पत्र राशि बंदी के परिवार की आर्थिक स्थिति एवं भुगतान क्षमता ध्यान में रखकर निर्धारित नहीं की जाती। इस वजह से बंदी द्वारा वांछित जमानत एवं बन्ध पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उसके द्वारा पैरोल का उपभोग किया जाना संभव नही होता है।

अतः पैरोल प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के समय निर्धारित की जानेवाली जमानत एवं बन्ध पत्र की राशि बंदी की पारिवारिक, आर्थिक स्थिति एवं भुगतान क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए युक्ति–युक्त रुप से निर्धारित की जावे।

2. यह कि राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रुल्स 1958 के नियम 6 में पैरोल आदेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में प्रावधान है एवं इस संबंध में निर्धारित प्रारुप संख्या IV है। बंदी को द्वितीय, तृतीय नियमित पैरोल एवं उसके पश्चात् अन्य नियमित एवं स्थायी पैरोल के प्रार्थना पत्र पर विचारण करते समय बंदी के पूर्व स्वीकृत पैरोल पर रहे आचरण को भी मध्यनजर रखते हुए, निस्तारण किया जाये। इस संबंध में राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज ऑन पैरोल रुल्स 1958 के नियम 9, जो इस संबंध में प्रासंगिक है, की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

64

3. यह कि बंदियों द्वारा जेल में कारित जेल अपराधों के लिये दण्ड से दण्डित किये जाने संबंधी प्रकरणों में पारदर्शिता एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का पालन करना आवश्यक है। इसी क्रम में बंदी को व्यक्तिगत सुनवाई/प्रतिरक्षा का समुचित अवसर प्रदान किया जाना एवं दण्ड दिये जाने की अवस्था में पारित आदेश से औपचारिक रुप से सूचित किया जाना आवश्यक है।

4. यह कि कई बार बंदी का निवास स्थान, विचारण न्यायालय का स्थान एवं जिस कारागृह में बंदी निरुद्ध है, वह स्थान अलग–अलग होते है, ऐसी अवस्था में जिस कारागृह में बंदी अवरुद्ध है, उससे संबंधित जिले का जिला मजिस्ट्रेट पैरोल प्रकरण के लिए नोडल अधिकारी के रुप में कार्य करेगा। उसके द्वारा बंदियों के पैरोल प्रकरणों के समय पर निस्तारण कराने हेतु पैरोल प्रकरणों की प्रतिमाह समीक्षा की जायेगी।

आज्ञा से,

ह०/-
(के.के.शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः –

1. महानिदेशक कारागार को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परामर्शानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर इस विभाग को अवगत करावे।
2. समस्त संभागीय आयुक्त।
3. समस्त जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर को पालनार्थ।

ह० 26/04/16
शासन उप सचिव